



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

संख्या: 23VSNO03036814 वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2022-23

दिनांक: 20/10/2022

NANDINI BUILD HOME CONSORTIUM PVT LTD

PLOT NO 15C/2 SEC-15 VASUNDHARA GHAZIABAD UP

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS22211955 दिनांक 18/10/2022
प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19/10/2022 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की हृषि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक्स अथौरिटी (मैजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुंसंगत वित्तियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मैक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Transformer	PARAMEX	630 KVA	11000 V	PTL/630/01	1
2	Transformer	PARAMEX	630 KVA	11000 V	PTL/630/02	1
3	Transformer	PARAMEX	500 KVA	11000 V	PTL/500/01	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण ० किलोवाट।

भवदीय,

AWADHESH KUMAR SAHANI
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, ३०प्र० शासन,
गाजियाबाद

संख्या: 23VSNO03036814 वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2022-23, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकारी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, गाजियाबाद।

सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, ३०प्र० शासन गाजियाबाद जोन।

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, ३०प्र० शासन, लखनऊ।



www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।
नोट :- यह एन ओ सी केरल ३ वर्ष तक मान्य है।

भवदीय,

AWADHESH KUMAR SAHANI
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, ३०प्र० शासन,
गाजियाबाद

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, ३० प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-६, पटेल नगर-१११, गाजियाबाद।
संख्या-७२२ वि० सु० नि० (गा० रीजन) / एच० टी० / ड्राइंग अनुमोदन/ २०२०-२१ दिनांक-१७-९-२०२२
सेवा में,

M/S. NANDINI BUILD HOME CONSORTIUM PVT,LTD.
PLOT NO-15C/2,SECTOR-15,VASUNDHARA,
DIST.-GHAZIABAD (U.P.)

विषय- ११/०.४३३ के ०वी० ६३० के ०वी० ५०० एवं ५०० के ०वी० ५०० द्रान्सफार्मर सबस्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित ड्राइंग का अनुमोदन।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-शून्य, दिनांक-शून्य।

प्रिय महोदय,

कृपया प्रासंगिक पत्र के साथ आपसे प्राप्त निम्नांकित एच० टी० ड्राइंग का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कर दिया गया है। उसकी एक प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।
(१) ले-आउट प्लान आप ११/०.४३३ के ०वी० ६३० के ०वी० ५०० एवं ५०० के ०वी० ५०० द्रान्सफार्मर सबस्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित ड्राइंग का अनुमोदन।

कृपया आप अपना अधिष्ठापन उपरोक्त अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार अधिष्ठापित करायें एवं सभी शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निरीक्षण हेतु समस्त कागजात विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट "WW.vidutsuraksha.org" पर आनलाइन जमा करें तथा उनसे लिखित अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अपना अधिष्ठापन जीवन्त करायें।
संलग्नक-०१ नं० ड्राइंग

भवदीय
३१/११
(डा० अवधेश कुमार साहनी)
उप निदेशक

विद्युत सुरक्षा, ३० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद।

संख्या- वि० सु० नि० (गा० रीजन) / एच० टी० / ड्राइंग अनुमोदन/ २०१९-२० तद्दिनांक-
उपरोक्त की प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारतीय विद्युत नियमाली १९५६ के नियम-६३ के अनुसार किसी भी उच्च विभव अधिष्ठापन को इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही सजीव किया जा सकता है। अतः उक्त विषयक विद्युत अधिष्ठापन को अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही सजीव करने का कष्ट करें।

(डा० अवधेश कुमार साहनी)

संख्या- वि० सु० नि० (गा० रीजन) / एच० टी० / ड्राइंग अनुमोदन/ २०१९-२० तद्दिनांक-
उपरोक्त की प्रतिलिपि अधिकारी (विद्युत निरीक्षक) को निर्देशित करने का कष्ट करें कि आनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समयावधि में यथोशीघ्र प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-०१ नं० ड्राइंग

(डा० अवधेश कुमार साहनी)

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/59936/GZB/GHAZIABAD/3916/JD

दिनांक: 29-08-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता

VASUNDHARA GRAND PLOT NO-15-COMM.-02 SECTOR-15,VASUNDHARA,GHAZIABAD तहसील -

GHAZIABAD, प्लाट एरिया **6465.18 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **28894.77** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A 2 BASEMENT STILT AND 28 FLOOR	28	2	87.15 mt.
BLOCK B 2 BASEMENT STILT AND 28 FLOOR	28	2	87.15 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT LTD** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **30-08-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BHARAT SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-09-2022** से **04-09-2027** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : In view of the recommendation reports of cfo and fso. The NOC is being issued

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(AMAN SHARMA)

[6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040]

05-09-2022

पत्र संख्या - १

सतक संख्या २६१३९

गाजियाबाद नगर निगम

(नियम 8 देखें)

055

क्रम संख्या

શ્રી / શ્રીમતી.

15/12/2011, 11:11 AM

. से प्राप्त हुए।

दिनांक

मांग रजिस्टर की क्रम संख्या	भूग्रहादि का नाम अथवा संख्या	मुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि
R745 cf 110/1000-0121 31/11/11	समाजसेवक	समाजने आवदन पत्र शुल्क समाजन शुल्क रोड कटिग जार्च सुपरवीजन शुल्क Awe		90/- 157000/- 20,000/- 5000/- 10,000/- <hr/> 189080/-

गेग शब्दों में ~~पर~~ (परन्तु) का अर्थ है कि वह वाक्य का अंत है।

तारीख :— २८/३/२०२२

गाजियाबाद नगर निगम

ठडिया :-

अनुज्ञापति (लाईसेंस) की दशा में यह रसीद अनुज्ञापति के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती । अवैधार निगम के अनुज्ञापति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती । अवैधार्णण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा

प्रपत्र संख्या 26139
पुस्तक संख्या -

गाजियाबाद नगर निगम
(नियम 8 देखें)

056
क्रम संख्या

श्री/ श्रीमती

गाजियाबाद कर्सोरी मिल
151 C, विधायक, गाजियाबाद से प्राप्त हुए।

बिल संख्या

मांग रजिस्टर की क्रम संख्या	भूग्रहादि का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि
8795 HNGC 00000422 21/11/11	151 C, विधायक	संयोजन आयदान पत्र शुल्क संयोजन शुल्क रोड कटिंग जारी सुपरवीजन शुल्क	30 ~ 385000 5000 18000	608000 ~

Faynut by R795

योग शब्दों में क्र - वाले भारतीय लिखे गए

दिनांक :- 26/11/11

गाजियाबाद नगर नि

रोकड़िया :-

अनूज्ञापत्री (लाईसेंस) की दशा में यह रसीद अनुज्ञापत्री के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती। अवैधानिक नियम के अनुज्ञापत्री अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अवैधानिक निर्माण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय
कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद रीजन,
F-6,(प्रथम तल), पटेलनगर-3, गाजियाबाद 201001

संख्या- 666 नि/गाजियाबाद / विनियम-37(VI) / 2020-21

दिनांक- 20-12-2021

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक
(Certificate of Electrical Safety Directorate)

विषय- "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम 2010" के विनियम 37(VI) एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 के क्लाज 4.4 (एनेक्जर 4.4) के अन्तर्गत मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण।

उपभोक्ता का नाम एवं पता- M/S NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT.LTD.,
PLOT No.15/C-2, SECTOR-15, VASUNDHARA,
DISTRICT-GHAZIABAD,U.P.

Details of Equipment- 06 No. Lift

Sr.no.	Make	Job No.	Capacity
1.	TKE	2-13-21-256	15 Passengers
2.	TKE	2-13-21-257	15 Passengers
3.	TKE	2-13-21-258	15 Passengers
4.	TKE	2-13-21-259	15 Passengers
5.	TKE	2-13-21-260	15 Passengers
6.	TKE	2-13-21-261	15 Passengers

निरीक्षण शुल्क रु०-9000.00 जो चालान सं०-LK00009, दिनांक- 20.12.2021 द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया गया।

प्रिय महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि इस निदेशालय के अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन का दिनांक-20.12.2021 को निरीक्षण करने पर पाया गया कि विद्युत अधिष्ठापन "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम 2010" के सम्बन्धित विनियमों के अन्तर्गत सन्तोषजनक हैं। अतः उपरोक्त लिफ्ट के विद्युत अधिष्ठापन को इस्तेमाल में लाये जानें में इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष के लिये मान्य है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि-

लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापन का वार्षिक अनुबन्ध किसी एजेन्सी को लिखित रूप में देकर लिफ्ट के सुरक्षा मानकों को सदैव मेन्टेन करते रहें तथा रिकाईस को अनुरक्षित रखें एवं किसी भी निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
सुरक्षा मानकों के अनुसार लिफ्ट को सदैव मेन्टेन रखें।
सुरक्षा उपायों में यू.पी.एस बैकअप, हूटर, आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाईस आदि को हमेशा कार्यक्षम अवस्था में अनुरक्षित करें।

मंगल
(डा० अवधेश कुमार साहनी)
उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

विद्युत सुरक्षा निदेशालय (Electrical Safety Directorate)